No- 11011/02/2021-Estt(NPPA)

भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

तीसरी एवं पांचवीं मंजिल,
वाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन,
1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 22.12.2022

नोटिस

विषयः एनपीपीए में रिक्तियों के लिए संविदा पर दस(10) परामर्शदाताओं एवं पांच(5) यंग प्रोफेशनलों की भर्ती एवं भविष्य में होने वाली रिक्तियों के लिए परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के तौर पर 38 चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्त किए जाने के लिए पैनल तैयार करना।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण(एनपीपीए), औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार दस (10) परामर्शदाताओं और पांच (5) यंग प्रोफेशनलों को नियुक्त करने और विभिन्न स्तरों पर भविष्य की रिक्तियों के लिए 38 चयनित उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है:-

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	प्रति व्यक्ति समेकित मासिक भुगतान (यथा लागू टीडीएस के अध्यधीन) (रूपए में)	अपेक्षित पैनल स्ट्रेंथ
1	परामर्शदाता, गैर तकनीकी, ग्रेड-II	0	Rs.65,000	2
2	वरिष्ठ परामर्शदाता (विधि)	0	Rs.60,000	2
3	परामर्शदाता (विधि)	1	Rs.50,000	3
4	वरिष्ठ परामर्शदाता (फार्मा)	2	Rs.60,000	4
5	परामर्शदाता (फार्मा)	0	Rs. 50,000	2
6	यंग प्रोफेशनल (फार्मा)	0	Rs. 40,000	2
7	परामर्शदाता (चिकित्सा उपकरण)	1	Rs. 50,000	2
8	यंग प्रोफेशनल (चिकित्सा उपकरण)	2	Rs. 40,000	4
9	परामर्शदाता (लागत)	4	Rs. 50,000	8
10	परामर्शदाता (आंकड़ा विश्लेषण)	2	Rs. 50,000	4
11	यंग प्रोफेशनल (आंकड़ा विश्लेषण)	3	Rs. 40,000	5
	योग	15		38

2. विस्तृत निबंधन एवं शर्तें, नियुक्ति हेतु योग्यता और आवेदन का प्रारूप एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस परिपत्र के रोजगार समाचार/समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से इक्कीस(21) दिनों के भीतर विहित प्रारूप में स्व-प्रमाणित समर्थन दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन बंद लिफाफे में अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, वाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजें।

22/11/2022

(जी.एल.गुप्ता)

निदेशक (प्रशा.)

011-23746794

प्रतिलिपिः

एनपीपीए की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एनआईसी टीम को।

अनुबंध-क

एनपीपीए में वरिष्ठ परामर्शदाताओं/परामर्शदाताओं(गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों की भर्ती के लिए सामान्य निबंधन एवं शर्तें:-

1. निश्चित अवधि के कार्य अथवा 1 वर्ष तक की अवधि के लिए संविदा आधार पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस अवधि में उम्मीदवारों के संतोषजनक कार्य-निष्पादन अथवा कार्यालय/एनपीपीए की आवश्यकतानुसार 3 वर्ष तक की अवधि के लिए संविदा का विस्तार किया जा सकता है।
2. वरिष्ठ परामर्शदाताओं/परामर्शदाताओं (गैर तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों की पात्रता शर्तें अनुबंध-ख पर और आवेदन का प्रपत्र अनुबंध-ग पर संलग्न है।
3. **(क) मासिक परामर्श शुल्क निम्नानुसार होगी:-**

वरिष्ठ परामर्शदता- 60,000/- रु० नियत(fixed)

परामर्शदाता- 50,000/- रु० नियत(fixed)

परामर्शदाता (गैर तकनीकी, ग्रेड-II) - 65,000/- रु० नियत(fixed)

यंग प्रोफेशनल - 40,000/- रु० नियत(fixed)

(ख) समेकित शुल्क में लागू कर शामिल होंगे और किसी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिक की नियुक्ति के मामले में भारत सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुसार परामर्श शुल्क निर्धारित की जाएगी, जो उपर्युक्त 3(क) में उल्लिखित अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।

(ग) वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदता/यंग प्रोफेशनल नियमित सरकारी कार्मिकों पर लागू किसी अधिनियम/ नियम के प्रावधानों के तहत किसी अन्य दावे या किसी अन्य हितलाभ के पात्र नहीं होंगे। यह नियुक्ति परामर्शदाताओं को एनपीपीए अथवा भारत सरकार में भविष्य में रोजगार अथवा नियमितीकरण या एनपीपीए के नियमित कर्मिकों को देय किसी भी लाभ का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करती है। वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदता/यंग प्रोफेशनल भविष्य निधि, पेंशन ग्रेच्यूटी, मेडिकल अटेंडेंस उपचार, वरिष्ठता, पदोन्नति इत्यादि अथवा एनपीपीए के कर्मिकों को नियमित आधार पर उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मिकों की नियुक्ति की शर्तें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के का.ज्ञा. के अधीन होंगी।

(घ) जिन वरिष्ठ परामर्शदाताओं/परामर्शदाता(गैर तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों ने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उनके संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य-निष्पादन की अनुशंसा के आधार पर उत्तरवर्ती वर्ष हेतु उनकी सेवा जारी रखने पर विचार किए जाने पर आरंभिक समेकित शुल्क पर 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जा सकती है। यह वार्षिक वेतन वृद्धि परामर्शदाता(गैर तकनीकी, ग्रेड-II) के पद हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

4. स्रोत पर कर कटौती:- प्रचलित नियमानुसार कटौती के लिए देय आय कर अथवा कोई अन्य कर की कटौती भुगतान किए जाने से पहले की स्रोत पर की जाएगी और उनके केस के अनुसार एनपीपीए द्वारा टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस संविदा के तहत वरिष्ठ परामर्शदाताओं/परामर्शदाताओं(गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर देय करों अथवा अन्य अंशदान के लिए एनपीपीए की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5. परिवहन भत्ता(टीए)/महंगाई भत्ता(डीए) :- वरिष्ठ परामर्शदाताओं/परामर्शदाताओं(गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तहत व्यक्तिगत तौर पर घरेलू यात्राएं करनी अपेक्षित होगी और उन्हें भारत सरकार के अवर सचिव के समकक्ष स्वीकार्य टीए/डीए की अनुमति होगी।

6. अवकाश:- वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल एक वर्ष की अवधि के दौरान राजपत्रित अवकाशों के अलावा व्यक्तिगत तौर पर 12 दिनों के अवकाश के पात्र होंगे। तथापि, एक वर्ष से आगे उनकी सेवा के विस्तार के मामले में उपयोग में न लाए गए अवकाश को आगे नहीं जोड़ा जाएगा। संविदा की अवधि में निर्धारित दिवस से अधिक अवकाश लिए जाने पर 'नो वर्क नो पे' लागू होगा।

7. आचार के मानक:- वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल कार्य की अवधि के दौरान सामान्य स्वीकार्य आचरण का पालन करेंगे। वे अपने कार्य-क्षेत्र से संबंधित अद्यतन विकास/नियमों/विनियमों के विषय में स्वयं को जागरूक रखेंगे और तद्नुसार एनपीपीए के अधिकारियों को परामर्श

देंगे। एनपीपीए द्वारा जारी नियमों/विनियमों के पालन में विफलता के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

8. यौन-शोषण एवं दुर्व्यवहार निषेध:- अपने कार्य निष्पादन के दौरान वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल व्यक्तिगत तौर पर कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन करेंगे। इसके प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन उनकी सेवा समाप्त किए जाने का आधार होगा, प्रासंगिक कानूनी कार्रवाई हेतु आगे की कार्रवाई की भी संस्तुति की जा सकती है।

9. <u>वरिष्ठ परामर्शदाताओं/परामर्शदाताओं(गैर-तकनीकी, गेड-II)/परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों की संविदा हेतु अन्य निबंधन एवं शर्तें:-</u>

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा उम्मीदारों का चयन किया जाएगा।

(ख) एनपीपीए द्वारा बिना कोई कारण बताए एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय इस संविदा को समाप्त किया जा सकता है। यदि, सक्षम प्राधिकारी उनके कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो भी उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(ग) वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल संविदा अवधि के दौरान किसी अन्य अंशकालिक नौकरी/पेशे को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वयं को किसी भी प्रकार की नौकरी/पेशे में शामिल नहीं करेंगे।

(घ) उम्मीदवार उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे। सक्षम प्राधिकारी उन्हें यथापेक्षित दायित्व प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं इस प्रकार के कार्य-भार के लिए कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

(ड़) प्रदान किए गए कार्य के सुचारु निष्पादन के लिए कार्यालय स्थल, फर्नीचर, स्टेशनरी, कंप्यूटर, इंटरनेट तक पहुंच इत्यादि एनपीपीए द्वारा प्रदान की जाएगी।

(च) वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर-तकनीकी, गेड-II)/परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के तौर पर चुने गए व्यक्तियों को ई-मेल के माध्यम से चयन पत्र भेजा जाएगा चयन पत्र में निर्देश दिए गए अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान उम्मीदवारों को कार्य-ग्रहण करना होगा।

(छ) उम्मीदवार भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, ग्रेच्यूटी, मेडिकल अटेंडेंस उपचार, वरिष्ठता, पदोन्नति इत्यादि जैसे लाभ के पात्र नहीं होंगे या नियमित आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के समान किसी भी अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे।

(ज) उम्मीदवारों को सरकारी सेट-अप में किसी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए किसी दावा या अधिकार या प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।

(झ) उम्मीदवार नियुक्ति होने पर कार्य-ग्रहण करने के लिए किसी यात्रा-भत्ता के पात्र नहीं होंगे।

(ञ) उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई घोषणा अथवा सूचना गलत साबित होती है या यह पाया जाता है कि उन्होंने जानबूझर कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई है, तो उन्हें इस संविदा से हटा दिया जाएगा और सरकार के विवेकानुसार अन्य कोई कार्रवाई भी की जाएगी।

(ट) यह भर्ती/संविदा उम्मीदवारों के शारीरिक स्वास्थ्य के अधीन होगा और उन्हें कार्य-ग्रहण करते समय एमबीबीएस डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(ठ) आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक, कुरियर या व्यक्तिगत तौर पर एनपीपीए को प्रेषित किया जाना चाहिए। कार्यालय उम्मीदवारों से केवल ई-मेल के माध्यम से संपर्क करेगा। उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना ई-मेल अकाउंट लगातार चेक करते रहें। अधूरे आवेदन या शैक्षिक योग्यता, आयु इत्यादि के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों के बिना प्रेषित आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

शर्तों में छूट:- जहां अध्यक्ष, एनपीपीए का मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो कारणों को लिखित तौर पर दर्ज करते हुए और आदेश के द्वारा दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

क्लोजिंग की अंतिम तारीख:- समाचार पत्र में विज्ञापन की तारीख से 21 दिन।

<u>अनुबंध-ख</u>

<u>रिक्तियों की संख्या एवं पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैः</u>

परामर्शदाता(गैर तकनीकी, ग्रेड-II)

अनुभव	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय में अवर सचिव/उपसचिव अथवा समकक्ष के तौर पर 3 वर्ष।
अधिकतम आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तारीख को 64 वर्ष से अधिक नहीं।

वरिष्ठ परामर्शदाता(विधि)

अनिवार्य योग्यता	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक(एलएलबी) एवं स्नातकोत्तर(एलएलएम्) की डिग्री, अधिवक्ता अधिनियम,1961 के प्रावधानों के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा किसी भी राज्य के बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत।
अनुभव	एलएलबी या एलएलएम के पश्चात् 4 वर्ष का अनुभव और टिप्पण-प्रारूपण, न्यायालय प्रक्रियाओं और न्यायालय में उपस्थित होने की अच्छी जानकारी, सरकारी वकील को ब्रीफ करना, औषध/विनियामक से संबंधित मामलों के निपटान का ज्ञान।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष

वरिष्ठ परामर्शदाता(फार्मा)

अनिवार्य योग्यता	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से फार्मेसी में स्नातकोत्तर डिग्री।
अनुभव	योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् फार्मा विनियामक कार्य/फार्मा मूल्य निर्धारण/फार्मा उत्पादन/फार्मा आंकड़ा विश्लेषण/औषध डेलिवरी और औषध एवं संबंधित विषय़ के क्षेत्र में कार्य करने का 4 वर्ष का अनुभव।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष

परामर्शदाता (विधि)

अनिवार्य योग्यता	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक(एलएलबी) की डिग्री, अधिवक्ता अधिनियम,1961 के प्रावधानों के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा किसी भी राज्य के बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत।
अनुभव	एलएलबी के पश्चात् 2 वर्ष का अनुभव और टिप्पण-प्रारूपण, न्यायालय प्रक्रियाओं और न्यायालय में उपस्थित होने की अच्छी जानकारी, सरकारी वकील को ब्रीफ करना, औषध/विनियामक से संबंधित मामलों के निपटान का ज्ञान।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष

परामर्शदाता (फार्मा)

अनिवार्य योग्यता	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से फार्मेसी में स्नातकोत्तर डिग्री।
अनुभव	योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् फार्मा विनियामक कार्य/फार्मा मूल्य निर्धारण/फार्मा उत्पादन/फार्मा आंकड़ा विश्लेषण/औषध डेलिवरी और औषध एवं संबंधित विषय के क्षेत्र में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष

परामर्शदाता (चिकित्सा उपकरण)

अनिवार्य योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विश्वनविद्यालय से जैव-चिकित्सा इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
अनुभव	योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् चिकित्सा उपकरण विनियामक कार्य/चिकित्सा उपकरण मूल्य निर्धारण/चिकित्सा उपकरण उत्पादन/चिकित्सा उपकरण आंकड़ा विश्लेषण और चिकित्सा उपकरण एवं संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष

परामर्शदाता (लागत)

अनिवार्य योग्यता	क्रमशः इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) / इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड एकाउंटेंट / कॉस्ट अकाउंटेंट (CMA)।
अनुभव	मूल्य निर्धारण और लागत, औषध विनियामक के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् कार्य अनुभव (सीए / सीएमए इंटर्नशिप को छोड़कर) प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष

परामर्शदाता (आंकड़ा विश्लेषण)

अनिवार्य योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से गणित / अर्थमिति / सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या डेटा साइंस में स्नातकोत्तर/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिग्री।
अनुभव	औषध/चिकित्सा उपकरण/विनियामक कार्य/औषध अनुसंधान/ इकोनॉमिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान /विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में आंकड़ा विश्लेषण में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् 2 वर्ष का कार्य अनुभव।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष

यंग प्रोफेशनल(आंकड़ा विश्लेषण, चिकित्सा उपकरण एवं फार्मा)
यंग प्रोफेशनल(आंकड़ा विश्लेषण)

अनिवार्य योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से गणित / अर्थमिति / सांख्यिकी/अर्थ-शास्त्र में स्नातक डिग्री।
अनुभव	औषध/चिकित्सा उपकरण/विनियामक कार्य/औषध अनुसंधान/ इकोनॉमिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान /विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में आंकड़ा विश्लेषण में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् 1 वर्ष का कार्य अनुभव।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	32 वर्ष

यंग प्रोफेशनल (फार्मा)

अनिवार्य योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से फार्मेसी में स्नातक डिग्री।
अनुभव	योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् फार्मा विनियामक कार्य/फार्मा मूल्य निर्धारण/फार्मा उत्पादन/फार्मा आंकड़ा विश्लेषण/औषध डेलिवरी और औषध एवं अनुसंधान से संबंधित विषय़ के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	32 वर्ष

यंग प्रोफेशनल (चिकित्सा उपकरण)

अनिवार्य योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से जैव-चिकित्सा जीनियरिंग में स्नातक डिग्री।
अनुभव	योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् फार्मा विनियामक कार्य/फार्मा मूल्य निर्धारण/फार्मा उत्पादन/फार्मा आंकड़ा विश्लेषण/औषध डेलिवरी और औषध एवं अनुसंधान से संबंधित विषय़ के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।
	एमएस ऑफिस में कार्य करने का अच्छा ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल।
अधिकतम आयु सीमा	32 वर्ष

<u>चयन का तरीका:-</u>

(क) परामर्शदाता (गैर-तकनीकी, ग्रेड- II) के लिए, चयन अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के साक्षात्कार / कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के आधार पर होगा।

(ख) वरिष्ठ परामर्शदाता (विधि एवं फार्मा), परामर्शदाता (फार्मा) और परामर्शदाता (आंकड़ा विश्लेषण) के लिए, उम्मीदवारों को निम्नानुसार दिए गए सभी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के भारित औसत (Weighted Average) के आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगाः

क्रम सं.	परीक्षा	भारित(**Weightage**)
1	12वीं कक्षा	40%
2	स्नातक	25%
3	स्नातकोत्तर	35%

स्पष्टीकरण:-

यदि किसी उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा में 85%, स्नातक में 64% और स्नातकोत्तर में 82% अंक प्राप्त किए हैं, तो भारित औसत की गणना इस प्रकार की जाएगी = (85 का 40%=34) + (64 का 25%=16)+ (82 का 35%=28.70) =78.70

(ग) परामर्शदाता(लागत) के लिए, उम्मीदवारों को नीचे दी गई सभी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के भारित औसत के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा:

क्रम सं.	**परीक्षा**	**भारित(Weightage)**
1	12वीं कक्षा	40%
2	सीए/सीएमए निर्णायक परीक्षा	60%

स्पष्टीकरण:-

यदि किसी उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा में 85% और सीए/सीएमए अंतिम परीक्षा में 64% अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त अंकों के भारित औसत की गणना इस प्रकार की जाएगी = (85का 40%=34) + (64 का 60%=38.40) =72.40

(घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के अलावा अन्य यंग प्रोफेशनलों और परामर्शदाताओं के लिए, उम्मीदवारों को नीचे तालिका में दी गई सभी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के भारित औसत के आधार पर योग्यता सूची के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा:

क्रम सं.	परीक्षा	भारित(**Weightage**)
1	12* कक्षा	40%
2	स्नातक	60%

स्पष्टीकरण:-

यदि किसी उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा में 85% और सीए/सीएमए अंतिम परीक्षा में 64% अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त अंकों के भारित औसत की गणना इस प्रकार की जाएगी - (85 का 40%=34) + (64 का 60%=38.40) =72.40

(ङ) आवेदकों को उपरोक्त (क) अर्थात् परामर्शदाता (गैर-तकनीकी, ग्रेड- II) को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए ऊपर दिए गए अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें अपेक्षित अनुभव के आधार पर चुना जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कारकर्ता, उम्मीदवार का उनके संप्रेषण कौशल, सामान्य जागरूकता, आवेदित क्षेत्र में रुचि और अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करेंगे।

मेरिट लिस्ट निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी:

क्रम सं.	घटक	भारित(**Weightage**)
1	शार्टलिस्ट किए गए अंक	85
2	व्यक्तिगत साक्षात्कार	15
3	योग	100

कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और एमएस ऑफिस का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य है। एमएस ऑफिस संचालन की जानकारी नहीं रखने वाले उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(च) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए ई-मेल के माध्यम से 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में आने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और साक्षात्कार और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उन्हें कोई टीए/डीए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(छ) विज्ञापित पद के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता रखने वाले एनपीपीए में वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं और उन्हें आयु में उचित छूट प्रदान की जाएगी।

अनुबंध-ग

एनपीपीए में संविदा आधार पर वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता(गैर-तकनीकी,ग्रेड- II) /परामर्शदाता/ यंग प्रोफेशनलों के पद भरे जाने हेतु आवेदन पत्र-)

1. नाम:
2. जन्म तिथि:
3. पिता का नाम:
4. राष्ट्रीयता:
5. पत्राचार हेतु पता:

हस्ताक्षरित फोटो (पासपोर्ट आकार)

6. स्थायी पता:
7. दूरभाष:
8. ई-मेल का पता:
9. शैक्षिक योग्यता (अलग कागज पर):

क्र.सं.	कोर्स का नाम	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अंक %

10. कार्य अनुभव: (योग्यता प्राप्त करने के पश्चात्) (अलग कागज पर):

क्र.सं.	यदि अपेक्षित हुआ तो, सत्यापन हेतु संगठन का नाम औस संपर्क का ब्यौरा	अवधि		धारित पद का नाम	कार्य का दायित्व	छोड़ने का कारण
		से	तक			

11. कंप्यूटर पर कार्य ज्ञान का स्तर, विशेष तौर पर एमएस ऑफिस:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज:	नीचे प्रत्येक के समक्ष उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/फेयर/कुछ नहीं इंगित करें
(i) एमएस वर्ड	
(ii) एमएस एक्सेल	
(iii) एमएस पावर प्वाईंट	

12. मैं समझता हूं कि वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता (गैर-तकनीकी, ग्रेड-II)/ परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के रूप में मेरा चयन होने से मैं, नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू किसी भी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के तहत किसी भी दावे या किसी अन्य लाभ/मुआवजे का पात्र नहीं होउंगा। यह नियुक्ति मुझे भविष्य में एनपीपीए/भारत सरकार में नियमितीकरण या एनपीपीए के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य किसी भी लाभ का कोई अधिकार नहीं देती है। मैं भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा अटेंडेंस उपचार, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ या नियमित आधार पर एनपीपीए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख & स्थान:

नोट: प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अपेक्षित है।